तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महीपाल मोहनोत बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 185/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी महीपाल मोहनोत पता बी-10, प्रथम विस्तार कमला नेहरू नगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.08.20 में उसके द्वारा (1) सेक्टर बी-104 शास्त्रीनगर में संचालित महिला होस्टल के पंजीयन आवेदन, पुलिस जांच, पंजीयन प्रमाण पत्र, जितनी बार नवीनीरण किया उसकी रिपोर्ट, हॉस्टल संचालक से प्राप्त रिपोर्ट, समय समय पर की गई जांच व रिपोर्ट व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर द्वितीय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का आवेदन दिनांक अग्रेषित करने की सूचना पत्र साधारण डाक सं0 591 दिनांक 25.08.2020 से भेजी जो समयावधि बाद भेजना स्पष्ट है अतः जिस किसी के पास सूचना है उनसे प्राप्त कर दिलाने हेतु बाध्य है। अपील में यह भी कहा कि जिला कलक्टर कार्यालय व अधीन कार्यालय को जानकारी होते हुए भी व कहीं कहीं जिला कलक्टर, कहीं नगर निगम-पालिका पुलिस विभाग इनके लाईसेंस जारी करते है परन्तु आवेदन को गलत अग्रषित किया गया। समयावधि बाद अन्य लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया। रेस्पो.पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 968 दिनांक 26.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 590 दिनांक 25.08.2020 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को भी पत्र की प्रति पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कलक्टर कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी (उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर) को समयावधि में अन्तरण किया गया है तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आगे संबंधित कार्यालय (महिला हॉस्टल शास्त्रीनगर सेक्टर बी-104) को प्रेषित कर दिया गया है। प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी ने समयावधि के पश्चात् पूर्व तारीख में डिस्पेज कर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण लगातार...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh In
Date: 2020.12.08 14:32:57 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। प्रार्थी का यह कथन भी है कि कही कहीं जिला कलक्टर, कहीं नगर निगम पालिका, पुलिस विभाग इनके लाईसेंस जारी करते है अतः इस संबंध में प्रार्थी से अपेक्षा की जाती है कि यदि उसे छात्रावास के लिए लाईसेंस उपरोक्त विभागों द्वारा जारी करने की जानकारी है तो उन्हें संबंधित विभागों में सूचना का आवेदन प्रस्तुत कर अब भी सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का रिकार्ड कलक्टर कार्यालय में संधारित किया जा रहा है या नहीं, इस बाबत प्रार्थी को एक बार सूचित कर दिया जाय। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature No
Digitally signed
Date: 2020.12.0
Reason: SelfAtt